5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED.

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED.

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED.

नि. 1/B 043/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

B.O.R.

24 JUL 2015

1. गजाधर तनय रामाधीन तिवारी
2. राजेन्द्र तनय गजाधर तिवारी
3. मोहन तनय गजाधर तिवारी

निवासी ग्राम निधौली तह. गौरिहार

जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/6/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

233/25-8-15

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निधौली स्थित भूमि खसरा क्र 207, 332/1, 450/1, 463, 1000, 467/2, 448/3, कुल रकवा 3.035 हे कुल किता 7 भूमि निगरानीकर्ता क्र 1 द्वारा अपने नाबालिग पुत्र अर्थात् निगरानीकर्ता क्र 2 व 3 के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3/2/1982 के माध्यम से क्रय कर मालकाना हक व कब्जा प्राप्त किया था, तथा विक्रय पत्र दिनांक से ही वह भूमि पर मालिक काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है, परंतु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा बिना किसी आधार पर वर्ष 07–08 में निगरानी में प्रकरण पंजीबद्ध कर करीब 8 वर्ष पश्चात् गलत आधार पर दिनांक 26/6/15 को निगरानीकर्तागण को कारण

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3043/II/15 ..... जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	गजाधर आदि कार्यवाही तथा आदेश म०प्र० शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.12.15	प्रकरण मे आवेदक अभि० श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित। उन्हे प्रकरण मे ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधि० द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मे अंकित बिन्दुओं के क्रम मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जारही कार्यवाही दिनांक 26.6.15 कारण बताओ नोटिस की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है, कि आवेदकगण द्वारा शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि पट्टा धारी गजाधर कुम्हार से बिना सक्षम अधिकारी कलेक्टर की अनुमति से क्रय की गई है जिसके संबंध मे अपर कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किए जाकर आवेदकगण से जवाब चाहा गया है। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण मे अभी कोई आदेश जारी नही किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश मे विचारोपरांत प्रकरण मे ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। अधी० न्याया० को आदेश प्रति भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। द० दा० रि० हो। सदस्य 1.12.15	

[कृ. प. उ.